We have not been informed. They have informed the press. What are the details of the package?

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, एक मिनट...

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Regional Rural Banks (Amendment) Bill, 1987.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Regional Rural Banks (Amendment) Bill, 1987, as passed by Lok Sabha at its sittings held on the 26th November, 1987."

Sir, I lay the Bill on the Table.

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : श्रीमन्, ...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Nothing will go on record. Please sit down. I will not allow it. Nothing will go on record.

SHRI RAM AWADHESH SINGH:*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): मेहरबानी करके आप बैठ जाइये । I request you to please sit down.

Now, we take up Calling Attention motion. Before we take up the Calling Attention motion listed for today, I request that the House should conclude the same today itself by sitting after Private Member's Business, if necessary.

Now, Shri Kalpnath Rai.

---

*Not recorded.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Need to ensure remunerative prices to the Sugarcane growers for their produce

SHRI KALPNATH RAI (Uttar Pradeh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to call the attention of the Minister of Food and Civil Supplies to the need to ensure remunerative prices to the sugarcane growers for their produce.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): Sir, I must, first of all thank the Hon'ble Members for affording me this oportunity to explain that the Government keeps the interests of the sugarcane growers in mind, as much as the interests of consumers of sugar and its producers.

The Central Government fixes the statutory minimum price of sugarcane payable by vaccum pan sugar factories. The sugar industry generally utilises a little over one-third of the total cane crop while the balance production goes mostly for use in the unorganised sectors. While fixing the statutory minimum prices, cost of production is one of the factors taken into consideration. In fact, in deciding the sugarcane price policy Government has to strike a balance, in the interests of growers of sugarcane, producers of sugar and its consumers.

The prices fixed by the Central Government which take into account the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices, are only floor prices below which no sugar factory can pay. They primarily safeguard the growers against exploitation at a time when the production of sugarcane is very high.

For the 1987-88 season the statutory minimum price has been fixed at Rs. 18.00 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent, with proportionate premium for higher recoveries. This is higher by Re. 1/- per quintal as compared to 1986-87

[Shri H. K. L. Bhagat]

season. For 1984-85 season, the price was Rs. 14/- per quintal. Thus, over a period of 3-4 years, a substantial increase has been allowed in the minimum price.

As I have already stated, the price fixed by the Central Government is only the floor price. In actual practice, however, the growers are getting prices much higher than the statutory minimum. In Uttar Pradesh, for example, it has been reported that the factories would be paying a price of Rs. 27/- and Rs. 26/— per quintal of sugarcane. These prices are more by Rs. 2/- per quintal as compared to last season, giving an adidtional income of about Rs. 1000/- per hectare, to the grower.

The prices of levy sugar distributed through the Public Distribution System are computed on the basis of the statutory minimum price of sugarcane. Very high increase in the statutory minimum price would only make sugar suppiled through the Public Distribution System dearer. The Public Distribution System, as the Hon'ble Members are well aware, caters to the needs of millions of consumers a substantial proportion of whom belong to the vulnerable sections of the society.

Besides ensuring remunerative prices of sugarcane, Government also considers it necessary that the growers must get their dues promptly. As the Hon'ble Members are aware, sugar production during 1986-87 has been a new record at about 85 lakh tonnes. In spite of record crushing the cane price arrears have been very low.

I wish to assure the House that the interests of growers are fully protected in the policy measures decided by the Central Government.

उपसभाध्यक्ष (श्री जगश देसाई) : कल्पनाथ राय जी, मैं आप से दरखास्त करता हूं कि 15 मिनिट में आप खत्म कर लीजिये क्योंकि बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं ।

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत की आजादी की लड़ाई का इतिहास किसान-आंदोलन से शुरू होता है । चम्पारण में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के शोषण के खिलाफ महात्मा गांधी ने किसानों का आंदोलन किया, जवाहर लाल नेहरू ने अवध के जमींदारों, ताल्लुकेदारों, रजवाड़ों के द्वारा किये जा रहे जुल्म और शोषण के खिलाफ आजादी की लड़ाई के दौरान किसानों का आंदोलन किया और सरदार पटेल ने बरदौली में किसानों के हो रहे शोषण के खिलाफ संघर्ष और सत्याग्रह किया । आजाद हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार ने जमींदारी प्रथा तोड़ी, किसानों के शोषण को उनसे रोका और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने की नीति बनाई । श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में एग्रीकल्चर प्राइस पालिसी, प्राइस कमीशन भी बनाया गया और सन् 1984 में जब राजीव गांधी जी ने सत्ता सम्भाली तो उन्होंने कहा कि एग्रीकल्कर प्राइस कमीशन की जगह एग्रीकल्चर कोस्ट एण्ड प्राइस कमीशन बनेगा, जो किसानों द्वारा खेतों में पैदा की हुई चीजों के दाम की कोस्टिंग करेगा और तब प्राईसिंग करेगा ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सन् 1984 में यह आयोग बनाने की घोषणा प्रधान मंत्री ने की । परन्तु आज सन् 1987 तक यह एग्रीकल्चर कोस्ट एण्ड प्राइस कमीशन नहीं बन सका, जबकि सन् 1985 में माननीय बूटा सिंह जी ने इसी सदन में घोषणा की कि एक महीने के अन्दर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस कमीशन बन जाएगा, फिर इसी सदन में सभी हमारे मित्रों के बीच मकवाना जी ने घोषणा की कि एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस कमीशन अगला पार्लियामेंट सेशन होने के पहले बन जाएगा । लेकिन आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सन् 1984 की प्रधान मंत्री की घोषणा के बावजूद सरकार ने आज सन् 1987 तक यह एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस कमीशन नहीं बनाया । यह बड़े दुख की बात है । अब जब एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस कमीशन नहीं बनेगा तो फिर खेतों में पैदा होने वाली चीजों के दाम आप कैसे निर्धारित करेंगे, कैसे उसका सही मूल्य किसनों को देंगे ? यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सन 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया था कि किसानों के खेतों में पदा होने वाली वस्तुओं और कारखानों में पैदा होने वाली वस्तुओं के दामों में पैरिटी का सिद्धांत लागू किया जाएगा। परन्तु क्या सरकार ने दामों को तय करते हुये पैरिटी के सिद्धांत का पालन किया है ? यह सन 1985 में लोहे का दाम 400/— रुपये क्विंटल था, वह 800/— रुपये क्विंटल हो गया और गन्ने का दाम आठ आना क्विंटल के हिसाब से बढ़ गया या एक रुपये क्विंटल के हिसाब से बढ़ गया, क्या यह पैरिटी का सिद्धांत है ? सरकार ने आखिर इस पैरिटी के सिद्धांत को केबिनेट में क्यों तय किया, क्यों केन्द्रीय मंत्रिमंडल में इस समता के सिद्धांत को सरकार ने स्वीकार किया ?

आदरणीय उपसभाध्यक्ष, महोदय,

The Lok Sabha Speaker and President of the All India Krishak Smaj, Shri Balram Jakhar, pleaded for parity in prices of agricultural produce and industrial goods. Inaugurating a two-day All India Sugarcane Growers and Sugar Producers Conference here, he said: He was disappointed at the manner in which things are moving in the public sector undertakings and called for improvement in their functioning and he wanted parity in the prices.

आदरणीय बलराम जाखड़ जो हमारे अध्यक्ष हैं लोक सभा के, उन्होंने यह बात कही है। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को पार्टी ने किसानों का आंदोलन शुरू से ही किया है, किसानों के लिये संघर्ष किया है, किसानों को प्राइसेज दी, लेकिन आज कारखानों में जो चीजें पैदा हो रही हैं, उनके दाम जिस गति से बढ़ रहे हैं, उस गति से खेतों में पैदा होने वाली चीजों के दाम नहीं बढ़ रहे। तो कारखानों मे पैदा होने वाली वस्तुओं से खेतों में पैदा होने वाली वस्तुओं की क्या पैरिटी है ? यही आज बुनियादी प्रश्न है, जिस पर इस सदन को बहुत गम्भीरता से विचार करना है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं, जैसा आपने अभी एनाउन्स किया कि 18/— रुपये क्विंटल स्टेटरी मिनिमम प्राइस तय की है, आप जानते हैं कि जब आपने यह स्टेटुरी मिनिमम प्राइस तय की थी उस समय देश में सूखा नहीं था, इस बीसवीं शताब्दी का सबसे बड़ा सूखा इससाल पड़ा है और किसान इसके कारण तबाह और बर्बाद हुये हैं। करोड़ों की संख्या में किसान गांवों को छोड़ कर बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास की तरफ भाग रहे हैं। कारण यह है कि आज किसान जो खेतों में पैदा कर रहे हैं उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जिसके कारण भारत की अर्थ-व्यवस्था, जिसकी कि बुनियाद कृषि है, प्रभावित हुई है। आज कृषि पहले जैसी नहीं रह गयी है। खेती करने के लिये किसान को पेस्टीसाइडस, इनसेक्टीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ट्रैक्टर का इस्तमाल करना पड़ेगा, ट्यूबवेल लगाकर नहर से पानी देना पड़ेगा और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये उसे पैसा लगाना पड़ता है। पहले किसान को यह सुविधायें नहीं थीं। वह खुद मेहनत करता था बैलों से खेत जोत लेता था, गोबर का इस्तेमाल करता था और खेती में ज्यादा पैसा नहीं लगाता था। लेकिन आज बिना पैसे के खेती नहीं हो सकती। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह चाहे किसी भी गांव का सर्वे करा ले, हिन्दुस्तान के 7 लाख गांवों का सर्वे करा लीजिए। आप पायेंगे कि देश का 90 प्रतिशत किसान कर्ज से लदा है। किसानों के लिये आज शरद जोशी आंदोलन कर रहे हैं। टिकैत जैसे व्यक्ति नेता बनकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उभर रहे हैं। क्योंकि किसानों की बात यदि सरकार नहीं करेगी तो उसका लाभ दूसरे लोग उठायेंगे।

हमारे विरोधी दल की एक बार सरकार बनी थी। उन्होंने कबाड़ा कर दिया किसानों के गन्ने जलाये गए। उन्होंने तो सत्यानाश कर दिया और अगर सरकार भी वह काम करेगी और किसानों के सम्बन्ध में

[श्री कल्पनाथ राय]

वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनायेगी तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे ।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आज सूखा पड़ा हुआ है । भगत जी इतना तो आप कर दीजिए कि सारी राज्य सरकारों, मिल मालिकों को यह डायरेक्टिव दीजिए कि विदन फोर्टनाइट, 15 दिन के अन्दर हम गन्ने का भुगतान कर देंगे । जो किसान गन्ना दे, उसका भुगतान कर देंगे । अगर किसान कपड़ा, मसाला या अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीदना चाहे तो उसको कोई उधार नहीं देगा । इसलिए जब किसान अपना अपना गन्ना मालिक को, कोआपरेटिव को या गन्ना मिल को दे तो कम-से-कम 15 दिन में उसका पेमेंट करा दें नहीं तो उसकी बेटी की शादी नहीं होगी । यदि उसका बैल मर जाएगा तो वह दुबारा खरीदा नहीं जाएगा । उसका मकान यदि गिर जाएगा तो वह दुबारा बनवा नहीं सकेगा । उसके लड़के की पढ़ाई नहीं होगी और वह तबाह हो जाएगा । उसके कर्जे के वारंट निकल जाएंगे तो वह अपना गांव छोड़कर कलकत्ता चला जाएगा । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसान की समस्या पर विचार करें ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार ने संविधान में समाजवादी सरकार बनाने की घोषणा की थी । 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में यह तय हुआ कि हिन्दुस्तान में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होगा । कांग्रेस-आई बनने के बाद यह पहला प्रस्ताव आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने किया । भगत जी सामजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम श्री राजीव गांधी को करना चाहिए । हिन्दुस्तान के किसानों को मिल-मालिकों के शोषण से बचाना है । चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए और सरकार को फैसला करना चाहिए कि कोई लाइसेंस हम प्राइवेट पूंजीपतियों को नहीं देंगे । लायसेंस केवल कोआपरेटिव सेक्टर में देंगे या स्टेट सेक्टर में देंगे । ये पूंजीपति अरबों, खरबों रुपया खा जाते हैं और इसीलिए किसान तबाह है कि वे इनका पेमेंट नहीं करते । दो-दो साल तक पेमेंट नहीं करते । मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि अभी 2 हजार करोड़ का पेमेंट किया गया । केवल 50 करोड बाकी हैं । आखिर 50 करोड़ भी क्यों बाकी हैं । आखिर उसे कौन उधार देगा । यह बड़ा बनियादी प्रश्न है । उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुख की बात है कि हम सदन में देश की समस्याओं पर विचार करने के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन हमारे विरोधी दल के साथी चाहते हैं कि इस सदन में किसानों के सवाल पर बहस न हो । बहस होगी तो प्रतिबंध लग जायगा कि एक घंटे में इस को खत्म करना । या ऐसे बहस होगी कि जिस को 6 बजे तक समाप्त कर दिया जाय या उस दिन बहस होगी कि जब कोई काम नहीं होगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : यह चाहते हैं कि आज यह भी एक बजे तक खत्म हो जाय ।

श्री कल्पनाथ राय : तो जो सवाल देश के करोड़ों करोड़ किसान के बेटों से संबंधित है, गरीबी के सवाल पर, पेट के सवाल पर, भुखमरी के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर इस सदन में बहस होनी चाहिए । निरर्थक सवालों पर यहां बहस नहीं होनी चाहिए । श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने "जय जवान, जय किसान" का नारा दिया था । किसान का बेटा अन्नदाता है, प्राणदाता है । रोज खेतों में हल चला कर अपनी कड़ी मेहनत से हिन्दुस्तान में उत्पादन करता है । किसान का बेटा भारत की 15, 16 हजार फीट की ऊंचाई पर खड़ा हो कर भारत की सीमाओं की रक्षा करता है । बर्फीली पहाड़ियों पर रात दिन रह कर भारतमाता की रक्षा करता है । अपने खन के नाले बहाकर देश की रक्षा करता है । बिरला का कोई बेटा फौज में नहीं है या टाटा का कोई बेटा फौज में नहीं है या किसी पूंजीपति का बेटा फौज में नहीं है या बड़े बड़े नौकरशाहों के बेटे फौज में नहीं हैं....

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप गन्ने पर बोलिये ।

श्री कल्पनाथ राय : यह बुनियादी सवाल है गन्ने का । सीमाओं पर खड़े लाखों जवान जब देखेंगे कि हमारे बाप के घर की कुर्की हो रही है इस लिये कि गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है और किसान जब उस को चिट्ठी लिखेगा कि यहां सूखा पड़ा है, घर पर कुर्की आ गयी है, दूसरे बच्चे कलकत्ता या बंबई भाग गये हैं तो उस का मन मजबूत नहीं होगा । लालबहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था "जय जवान, जय किसान" का । हिन्दुस्तान की पूरी आर्थिक व्यवस्था कृषक पर मुनहसिर करती है और यहां की एग्रीकल्चर की बैकबोन किसान है और किसान का बेटा ही सीमाओं पर लाखों की संख्या में मुल्क की रक्षा करता है । तो इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और एक निवेदन है भगत जी से कि इस समय चीनी मिलें चल रही हैं । सूखे को मद्देनजर रखते हुये गन्ने की स्टैचुयेरी प्राइस को रिवाइज करने पर विचार किया जाये । एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को कहिये कि प्रधान मंत्री जी के डाइरेक्शन के बावजूद भी एग्रीकल्चर कास्ट ऐंड प्राइस कमीशन क्यों नहीं बना । आप ने कहा है कि एग्रीकल्चर प्राइस एण्ड कास्ट कमीशन की रेकमेंडेशन होती है, तो जब वह कमीशन ही नहीं बना तो रेकमेंडेशन तो होगी नहीं, आप प्राइसिंग कैसे करेंगे ?

दूसरी बात यह निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां चीनी मिलें अंग्रेजों ने सब से पहले स्थापित कीं उन के मॉडर्नाइजेशन और डेवेलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं । उनके लिये कौन सी योजना केन्द्र सरकार बना रही है । और अंतिम बात निवेदन करना है कि आज किसानों द्वारा जो गन्ना सप्लाई हो रहा है उसके लिये आप राज्य सरकार के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखें या जिस तरह से हो सके डाइरेक्टिव दें कि सूखे को मद्देनजर रखते हुये 15 दिन के अन्दर किसानों के गन्ने का पेमेंट किया जाये ताकि किसान अपनी आर्थिक व्यवस्था को संतुलित कर सके, सुधार सके ।

अंतिम बात कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि कृषक समाज के चेयरमैन हैं श्री बलराम जाखड़ जी । उस समाज ने जो प्रस्ताव किये हैं मैं चाहूंगा कि सप्लाई मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और यदि हो सके तो विरोधी दलों के नेताओं को भी आप बुला लें, क्योंकि यह सवाल राजनीति का सवाल नहीं है, मुल्क के करोड़ों किसानों का सवाल है, इस से मुल्क की अर्थ व्यवस्था जुटी हुई है, पूरे राष्ट्र का मामला जुटा हुआ है, इसलिये इस सवाल पर विचार किया जाये कि पैरिटी इन प्राइसेज के सिद्धांत को कैसे लागू किया जाय । क्योंकि कारखाने में बनने वाली चीजें सोने के दाम पर बिक रही हैं । लोहे का दाम एड-मिनिस्टर्ड प्राइस सरकार तय करती है 400 रुपया और 800 रुपया, सीमेंट 50 और 70 रुपये तक, तो सरकार के कारखानों में पैदा होने वाली चीजों का दाम दूना और डेढ़ गुना बढ़ जाता है और किसानों के खेतों में पैदा होने वाली चीजों का दाम 8 आना क्विंटल बढ़ता है । आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, एक बड़े भारी नेता हिन्दुस्तान में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं किसानों का नेता हूं । महोदय, जब वे भारत के वित्त मंत्री थे तो गन्ने का दाम 8 आना क्विंटल बढ़ा था, दूसरे साल एक रुपया क्विंटल बढ़ा था । जब वे वित्त मंत्री थे तो ढाई रुपए क्विंटल गेहूं का दाम बढ़ाया था । जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधान मंत्री थीं तो श्री वेंकटरमण और प्रणब मुकर्जी यहां वित्त मंत्री थे । तब गन्ने का दाम 5 रुपये क्विंटल बढ़ाया गया, 10 रुपये क्विंटल बढ़ाया गया । 1980 में गन्ने का दाम 10 रुपये क्विंटल बढ़ा, 1981 में 10 रु० क्विंटल बढ़ा, 1983 में 10 रु क्विंटल बढ़ा, 1984 में 10 रुपये क्विंटल बढ़ा, इस प्रकार 50 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का दाम उस समय बढ़ाया गया । इसी तरह से गेहूं का दाम और धान का दाम बढ़ाया गया । तब दो देश के किसानों ने गन्ने का उत्पादन, चीनी का उत्पादन बढ़ाकर 40 लाख टन से 84 लाख टन कर दिया । हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है, उसका यह उद्देश्य है कि हम 60 लाख टन चीनी का उत्पादन करेंगे । यदि आप रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं देंगे तो कैसे किसान गन्ना उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहित होंगे । सातवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त होने में अभी दो वर्ष बाकी हैं । इससे पहले भी

[श्री कल्पनाथ राय]

गन्ने का उत्पादन 84 लाख टन तक जा चुका है। पर यदि आप किसान को रेम्युनरेटिव प्राइस नहीं देंगे तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम सभी लोगों को चीनी चाहिये। हमको बैड टी चाहिये। सबको चाहे वह पत्रकार हो, किसान हो, मजदूर हो, सांसद हो, नौकरशाह हो, चाहे पूंजीपति हो, सबको बैड टी चाहिये और उसके बिना काम नहीं चलता। तो उसके लिये जो चीनी का चम्मच चाहिये, उसके लिये भगत जी आप उसकी स्थिति को सामने रख कर आप फैसला कीजिये और किसानों को रेम्युनरेटिव प्राइस दीजिये ताकि आप देश के किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकें और देश में चीनी का भी अभाव न हो।

इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि 1984 में कॉस्ट्स एण्ड प्राइसेज कमीशन बना था और उसने सरकार को डाइरेक्टिव दिया था और मकवाना जी ने पिछले साल इसी सदन में कहा था कि उचित दाम देंगे। हम लोग हर साल सदन में यह मांग पेश करते हैं और किसानों को ज्यादा दाम देने की मांग करते हैं, उनको दाम सही मिलता नहीं। मैं कल्पनाथ राय जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोगों की सेंटीमेंट्स को ऐक्सप्लॉय करने के लिए ही यहां पर आप किसानों की बातें करते हैं या उसके लिए कुछ करने को भी तैयार हैं। जब सरकार कुछ करती नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि यहां बहस करने के माने क्या है?

उपसभाध्यक्ष (श्री **जगेश देसाई**) : यह तो कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। मंत्री जी इसका जवाब देंगे तो आपको उस समय मौका मिलेगा।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैं ध्यान सरकार का इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं और सबसे कहना चाहता हूं कि सरकार को मजबूर करो। वरना हर साल हम यहां बहस करने का एक कंवेंशन बना रहे हैं... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री **जगेश देसाई**) : भगत जी जवाब देंगे तो आप उस समय पूछ सकते हैं। मैं आपको इजाजत दूंगा। यदि मकवाना जी ने कुछ आश्वासन दिया जैसा कि कल्पनाथ राय जी ने कहा है, तो वे बताएंगे कि सरकार की नीति क्या है। अगर वे जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको पूछने का मौका दूंगा। श्री वीरेन्द्र वर्मा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जितना क्षेत्रफल गन्ने का दुनिया में है उसका 25 प्रतिशत गन्ने का क्षेत्रफल भारत देश में है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार प्रतिवर्ष चीनी का आयात विदेशों से करती है। पिछले तीन वर्षों में 33 लाख टन चीनी का आयात किया गया और इस साल के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई दूंगा कि 85 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ जो कि सबसे अधिक आज तक का रिकार्ड है। लेकिन इस वर्ष भी 9 लाख टन चीनी मंत्री महोदय ने बाहर से मंगाई। ऐसे देश के लिए जिसके पास दुनिया का 25 प्रतिशत गन्ने का क्षेत्रफल हो वह भी विदेशों से चीनी मंगाये यह देश के लिए लज्जा की बात है। हमारे लिए चुनौती की बात है। मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि किस भाव पर चीनी मंगाई गई और किस भाव पर उत्पादक को उन्होंने चीनी दी? क्या इसमें भी बिचौलिये का काम या मुनाफे का काम चल रहा है?

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर भारत में सन् 1978 में 56.4 टन से गिर कर सन् 1984 में 55.9 टन रह गया। ब्राजील में 53.5 से बढ़ कर 62.5 टन हुआ है और यू० एस० ए० में 80.5 से बढ़ कर 84.2 हुआ है और कोल-

म्बिया में 79.7 से बढ़ कर 85.7 हुआ है। इंडोनेशिया में भी बढ़ा है। वहां 83 से बढ़ कर 85.3 हुआ है। मेरी कहने की मंशा यह है कि और देशों में प्रति हैक्टेयर उत्पादन बढ़ा है जब कि भारत में प्रति हैक्टेयर उत्पादन कम हुआ है, गिरा है तो इसका क्या कारण है यह मंत्री जी बताने की कृपा करें।

मेरा एक सुझाव है कि उत्तर भारत में शाहजहांपुर, देवरिया, पूसा इंस्टीट्यूट, बिहार आदि में रिसर्च इंस्टीट्यूट गन्ने पर हैं लेकिन ये सब बहुत पुरानी परम्पराओं और साइंस के आधार पर हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जितनी साइंस ने पिछले 50 वर्षों में उन्नति की है उस आधार पर गन्ने के रिसर्च पर उत्तरी भारत के जो सबट्रोपीकल एरियाज हैं, ध्यान दें तब हमारी इस समस्या का समाधान हो सकता है।

आपकी आज्ञा से मेरा सुझाव है कि शुगर केन डवल्पमेंट फंड रिसर्च डवलपमेंट के लिए शुगर फैक्टरीज को पैसा देते हैं। शुगर फैक्टरीज को पैसा क्यों दिया जाता है? शुगर केन डवलपमेंट कौंसिल जिसके ऊपर राज्य सरकार का प्रतिनिधि है, जिसके ऊपर मिल मालिक का प्रतिनिधि है, जिसके ऊपर गन्ना उत्पादकों का भी प्रतिनिधि है तब आप मिल मालिकों को क्यों देते हैं? जहां तक रिसर्च की बात है पंजाब में सी०ओ०जे –64 नाम की गन्ने की नयी किस्म निकली है जिसमें रिकवरी बहुत ज्यादा है और 3–4 रुपये प्रति क्विंटल मिल मालिक किसान को अधिक देता है। पिछले 20 साल में सी ओ जे –64 के अतिरिक्त रिसर्च के आधार पर आपने और कौन सी नयी किस्म की वैराइटीज देश भर में निकाली हैं उनके ऊपर आप जरा प्रकाश डालें। प्रदेश की सरकारों को रिसर्च के लिए सहायता दें। नये किस्म से साइंटिफिक लाइन पर आपके रिसर्च सेन्टर स्थापित हों इसके लिए आप क्या कर रहे हैं यह बताने की कृपा करें।

अब की दफा सबसे अधिक सूखा पड़ा है देश में। ऐसा सूखा सैकड़ों वर्षों में नहीं पड़ा। इस सूखे ने किसान को और उसकी फसल को तबाह कर दिया। जितनी उसने सिचाई की, जितनी खाद का प्रयोग किया, जितनी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया उसका किसान को कोई लाभ नहीं हुआ। फ्लड ने उसको बरबाद कर दिया। बिहार में हमने देखा वहां गन्ने की फसल बरबाद हो गई है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपको यह देखकर करना चाहिए था क्यों कि किसान की आर्थिक अवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिये आपको इसकी कीमत मुकर्रर करानी चाहिए था। मैं हरियाणा सरकार को, वहां की किसान हितैषी सरकार को बधाई देना चाहता हूं जिसने इन हालातों को देखते हुए 32 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत मुकर्रर की। माननीय मंत्री जी आपने-अपने स्टेटमेंट में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से 26 रुपया, 27 रुपया निश्चित किया है। आपने हरियाणा की चर्चा क्यों नहीं की कि हरियाणा में 32 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है। (व्यवधान) . . चर्चा की है उन्होंने स्टेटमेंट में यह कहा है इसलिये मैं कह रहा हूं।

हरियाणा सरकार ने 32 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत मुकर्रर की है। यह मुनासिब है। आप देश भर में 32 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत निर्धारित करें। मान्यवर, मेरा आप से यह निवेदन है आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में 26–27 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत मुकर्रर की गई है। 26 रुपया पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 27 रुपया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या गन्ने की उत्पादन लागत पश्चिम में ज्यादा है और पूर्व में कम है जो आपने वहां एक रुपया प्रति क्विंटल घटाया है? मेरा आप से निवेदन है कि अगर किसान की आर्थिक अवस्था को आप सुधारना चाहते हैं तो सारे उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत एक रहनी चाहिए और जो 27 रुपया प्रति क्विंटल उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये मुकर्रर की सारे प्रदेश में वही कीमत रहनी चाहिये। बल्कि इसके लिये मेरा आप से निवेदन है कि आप स्टेट गवर्नमेंट पर जोर-दबाव डालें

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

कि पूरे प्रदेश में 32 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के भाव मुकर्रर कराने की कोशिश करें ।

महोदय, मैं आपकी प्रशंसा करते हुये कहना चाहता हूं कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 9 करोड़ 75 लाख रुपये, जैसा आपने अपने उत्तर में बताया कि गन्ने की कीमत बकाया है । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि 15 साल पेश्तर एक कानून बना था कि 14 दिन के बाद अगर गन्ने की कीमत बकाया रह जायेगी तो किसान को 15 फीसदी सूद मिलेगा । लेकिन यह तो 6 महीने से भी ज्यादा समय हो गया, 7–8 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है तो क्या इस 8 महीने से यह 9 करोड़ 75 लाख रुपया, जैसा कि आपने बताया है, इसके ऊपर और जो 14 दिन से ज्यादा रखा गया है इसके ऊपर क्या 15 प्रतिशत सूद आप किसानों को दिलवायेंगे ? महोदय, मैं आप की आज्ञा से एक चैलेंजिंग प्रश्न माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि 10 लाख टन चीनी का और बफर स्टाक बनाया गया । 1982–83, 1983–84 में 10 लाख टन चीनी का सरकार का बफर स्टाक मिल-मालिकों ने रखा । जो सरकार की चीनी रखी रहती है उसे सरकार आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज करती है । यह चीनी हमेशा उन्हीं के स्टाक में रहती है । उसके ऊपर आप सूद देते हैं 85 करोड़ रुपये । महोदय, 85 करोड़ रुपया इस सरकार ने मिल मालिकों को इसका सूद दिया है । और यह सूद किस हिसाब से दिया है ? 19.5 प्रतिशत के हिसाब से आपने उसका सूद 85 करोड़ रुपया दिया, जिसमें इंशोरेंस भी है । लेकिन किसानों को जो 15 फीसदी सूद मिलना चाहिये उसका एक नया पैसा भी, एक फीसदी भी आज तक आपने हिंदुस्तान के इन मिल-मालिकों से गत 15 सालों में नहीं दिलवाया है । यह आपके लिये एक चुनौती है । आप मिल-मालिकों को देते हैं 19.5 प्रतिशत लेकिन किसानों को आप एक फीसदी भी नहीं दिलवाते । आप मिल-मालिकों के पक्षधर हैं, पूंजीपतियों के पक्षधर हैं या किसानों के पक्षधर हैं इसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप अपने उत्तर में इसको साफ करेंगे । महोदय,

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : लास्ट प्वाइंट ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मुझे जरा बोलने दें । मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं ।

मान्यवर, केन प्राइस टैगिंग में व्यवस्था है कि जितनी चीनी मिल-मालिक बनायेंगे वह बैंक में रखी जायेगी और उसके ऊपर उन्हें सूद देना पड़ेगा । मिल-मालिक क्या करते हैं । जितनी चीनी बनी उसको बैंक में नहीं रखते, पूरी चीनी नहीं रखते क्योंकि अगर पूरी चीनी रखेंगे तो मिल-मालिकों को बैंक को ज्यादा सूद देना पड़ेगा । इस लिये वे पूरी चीनी न रख कर आधी चीनी रखते हैं । क्योंकि वे वहां अधूरी चीनी रखते हैं इसलिये किसानों को उनके गन्ने का पेमेंट नहीं होता । क्योंकि उन्होंने अधूरी चीनी रखी होती है इसलिये उन्हें उस पर कम सूद देना पड़ता है । मान्यवर, अगर उन्हें सूद देना पड़े तो वे अपनी पूरी चीनी बैंक में रखेंगे और बैंकों से जितना रुपया मिलेगा उससे प्रोप्टली किसान के गन्ने की कीमत की पेमेंट होगी । मेरा एक सुझाव यह है कि जितनी चीनी बने पूरी की पूरी चीनी बैंक में रखी जाए तथा वह रखी गई या नहीं रखी गई क्योंकि आंकड़े तो सब इधर-उधर से भेजे जाते हैं वहां के जिला मजिस्ट्रेट और गन्ना सोसाइटी को यह जानकारी होनी चाहिये जिससे इस बात का अन्दाज हो सके कि इन्होंने पूरी चीनी रखी है या नहीं रखी है । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब भारत सरकार की नीति कोआप्रेटिव शूगर फैक्ट्रीज को बढ़ावा देने की है । मैं इसको बहुत सही कदम मानता हूं । मैं इसकी प्रशंसा भी करता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि कोआप्रेटिव शूगर फैक्ट्रीज में शेयर पूंजी पांच करोड़ रुपये क्यों रखी गई है जबकि प्राइवेट क्षेत्र की चीनी

मिलों या जो चीनी मिलें ज्वाइंट सैक्टर में हैं उनमें शेअर पूंजी एक करोड़ की रखी गई है। निजी क्षेत्र के लोग एक करोड़ की शेअर पूंजी से देश में चीनी मिल स्थापित कर सकते हैं लेकिन कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज की स्थापना के लिये पांच करोड़ रुपये शेअर पूंजी रखना अनिवार्य है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रोत्साहन निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है या कोआपरेटिव क्षेत्र को दिया जा रहा है ? इसको भी मन्त्री जी स्पष्ट करने की कृपा करें। जहां तक महाराष्ट्र और गुजरात का सवाल है महाराष्ट्र और गुजरात में किसानों के खेतों से गन्ने की छिलाई का कार्य भी फैक्ट्रीज करती हैं उसकी ढुलाई भी फैक्ट्रीज करती हैं और बाद में उसका जो मुनाफा होता है उस मुनाफे को भी बांटती हैं ? आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में करीब 30 के ऊपर कोआपरेटिव चीनी मिलें हैं। उनमें से मैं आपको मिसाल के तौर एक सहारनपुर में सरसावा कोआपरेटिव शुगर मिल है उसके बारे में यह बताना चाहता हूं कि एक साल पेश्तर इसको करीब दो करोड़ 67 लाख रुपये का मुनाफा हुआ था। इस साल में और भी ज्यादा हुआ है। दो करोड़ 67 लाख के मुनाफे में जितने कर्मचारी और अधिकारी थे उनको चार मास के वेतन के बराबर बोनस दिया गया लेकिन जो शेअर होल्डर हैं किसान लोग हैं बदकिस्मत किसान को एक नया पैसा भी लाभांश का नहीं दिया गया। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में क्या ऐसी कोई फैक्ट्रीज है जिसने मुनाफा कमाने के बाद भी शेअर होल्डरों को एक पैसा भी मुनाफा न बांटा हो ? मेरा यह सुझाव है कि जितना मुनाफा हो उस मुनाफे को शेअर मनी में दे दिया जाए जिससे गन्ना उत्पादक जो कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज चलाते हैं उनको लाभ होगा तथा यह उसी प्रकार हो जाएगा जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। आप को सुन कर आश्चर्य होगा कि मुनाफा बांटने की दिशा में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। एक नया फंड बनाया गया है जिसे एन० आर० डी० या नान रिफण्डेबल डिपोजिट कहते हैं। जो रुपया वापिस नहीं होने का है उसको मुनाफे में से काट लिया जाएगा, किसान को देने वाले नहीं है, आप इसे रोकिये। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस तरफ अवश्य ध्यान देंगे। अब मैं आधुनिकीकरण के बारे में कहना चाहता हूं और पुनर्वास के बारे में कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में और बिहार में मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि 25 साल पहले की पुरानी मिलों को आधुनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में यह बताना चाहता हूं कि 50 साल पहले पुरानी शुगर फैक्टरीज हैं और बिहार में मंत्री जी ने 11 शुगर फैक्टरीज को शुगर डवलपमेंट फण्ड से सहायता दी है और 11 शुगर फैक्टरीज मेरा यह मानना है कि यह सारी निजी क्षेत्र की हैं। माननीय मन्त्री जी आपने सेक्रेटरीज से आंकड़े लेकर यह बताने की कृपा करें कि उन्होंने जो शुगर डवलपमेंट फंड से सहायता दी है पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिये क्या उसमें कोई शुगर फैक्ट्रीज कोआपरेटिव क्षेत्र की है या कोई गवर्नमेंट की ली हुई सरकारी शुगर फैक्ट्री है जो 50 साल पुरानी हो और नुकसान में चल रही हो। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कहते हैं कि 44 करोड़ का नुकसान होता है। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी यह चेष्टा और कोशिश होनी चाहिये कि जितनी भी सरकारी फैक्ट्रीज नुकसान में चल रही हैं। सबसे पहले उनका पुनर्निवासन और उनका आधुनिकीकरण करायें, उसके बाद कोआपरेटिव्स का करायें, जो निजी क्षेत्र के हैं उनको सहायता दें लेकिन प्राथमिकता न दें, यह मेरा आप से विनम्र निवेदन है।

एक बात कहकर समाप्त करता हूं। इन्सेंटिव स्कीम का आज भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन था। इंसेंटिव स्कीम में मुझे बड़ी शिकायत है। सन् 1975 में यह स्कीम सरकार ने लागू की, लेकिन निजी क्षेत्र के खतौली और मोदीनगर के मिल मालिकान ने सरकारी अधिकारियों के रिश्वे-

[श्री वीरेंद्र वर्मा]

डेज़न पर सरकार से सहायता ले ली । सरकार ने सहायता तो दे दी फिर ये जवाब तलब करने लगे कि क्यों सहायता दी । उसे रोक दिया, जब उसे वसूल करने लगे तो वे हाइकोर्ट में चले गये । उसे रोक दिया गया और पिछले 12 साल से वह रुका पड़ा है, क्योंकि सरकारी अधिकारी उसमें इंटरेस्टेड थे इसलिये वह आज भी रुका पड़ा है । उसके जल्दी डिसपोजल की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया । जिनके रिकमेंडेशन से हुआ उन आदमियों की बात पर भी ध्यान नहीं दिया ।

आखिर में एक और बात कहकर समाप्त करता हूं । माननीय मंत्री जी इस तरफ तो ध्यान देंगे ही कि जितनी बातें मैंने उठायी हैं उनका उत्तर मुझे मिलेगा और मुझे मौका नहीं मिलेगा कि मैं उनसे दुबारा प्रश्न पूछूं ।

आखिर में मान्यवर । एक नयी शुगर फैक्ट्री बनाने की पालिसी की इन्होंने स्कीम तैयार की है और घोषणा की है कि कितने फासले पर नयी फैक्ट्री बनेगी । लेकिन यह यार्डस्टिक यह जो पैमाना है यह सारी जगह लागू नहीं हो सकता है । जहां गन्ने का क्षेत्रफल अधिक है वहां दूरी कम हो सकती है, जहां गन्ने का क्षेत्रफल कम है वहां दूरी अधिक हो सकती है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : उन्होंने कुछ इस बारे में बताया था ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : नहीं बताया है । खैर, मेरी मंशा है कि इस तरफ माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे । चूंकि मुझे बार-बार टोका जा रहा है इसलिये मैं बहुत न्याय तो नहीं कर सका हूं लेकिन माननीय मंत्री जी से यह उम्मीद रखता हूं कि वे न्याय करेंगे ।

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): I would be very brief. I would only seek certain pointed clarifications.

According to the statement of the Minister, the statutory price has been fixed at Rs. 18 per quintal. As you know various State Governments also give a certain amount, says Rs. 5 or Rs. 6 or whatever it might be, by way of additional bonus. My pointed clarification is what is the rationale of all this Firstly, why does the Central Government not consider it desirable and necessary to increase the amount of statutory price? Secondly, in the matter of fixation of price, are the State Governments also consulted or not? If the State Governments' views are taken into consideration, then this paradoxical situation will not arise. I hope the hon. Minister will explain this.

I have got another clarification to seek from the hon. Minister. Production of sugar is going up. We are very proud of it and we welcome it. But in spite of it there is a paradoxical situation the country is facing. While production is increasing, the number of mills getting sick is also increasing. I want to know from the hon. Minister if it is a false sickness or a measure taken by the sugar industry captains to slaughter the traditonal industries. As a result of this the condition of workers in the sugar industry is getting pitiable. They are being exploited. In this connection I would like to draw the attention of the Minister to the fact that the workers in sugar industry are preparing for a country-wide strike because the wage board has not yet accepted adequate ad-interim relief for them. Therefore, I want the Government's attention to that thing also. Therefore, you find production is increasing, profit is increasing, sickness is also increasing and workers are increasingly being exploited. I think Mr. Kalp Nath Rai has said that in order to remove all these contradictions or paradoxes, the A.I.C.C. at that time passed a resolution for nationalisation of sugar industry. I quite agree with him. I support it because these paradoxes can be removed only by a properly thought-out plan of action both for production and looking to the interests of the workers engaged in the industry and also ensuring a remunerative price for the sugarcane growers. May I know from the Minister what has happened to the early decision taken by his party?

May I know from the Minister whether sugar magnates, of late, have suggested to

the Government a three-point programme? Is it also a fact that they have demanded reduction in excise duty, rationalisation of sugarcane prices and increase in the levy sugar? I want to emphasise and know whether this proposal has been received from the sugar magnates of our country. If so, what has been the reaction of the Government? May I also know from the Minister whether the Government is going to increase the price of levy sugar?

I am also amused to find the calculation of the cost of cultivation of sugarcane and as a matter of fact that is related to sugar economics. I am not an authority on this subject. Somebody told me, some workers told me and some trade unions told me about this thing. I have received this information from these sources. Now, according to the trade union's estimate, 1 quintal of sugarcane produces 10 kg of sugar and crushing cost for 1 quintal of sugarcane cannot exceed Rs. 4 or 5. Therefore, it comes to Rs. 18 and Rs. 4, that is, Rs. 22 whereas the price of sugar per kg in the market is Rs. 6. If this is the economics of production, then, you can understand what fabulous profit the sugar industry is likely to earn. May I request the Minister to give this Parliament the actual economics of the sugar industry?

My last point and I will finish. The whole subject of sugar industry appears to be administered by different Ministries. There is no centralised mechanism to administer the sugar supply. Here the Ministry of Finance is involved, the Ministry of Agriculture is involved, the Ministry of Industry is involved and lastly the Ministry of Food and Civil Supplies is involved. There is, of late, no coordination among all these departments which are directly or indirectly related to the sugar industry. May I suggest whether some mechanism can be evolved to see that all the aspects of sugar industry are controlled by one and the same umbrella organisation? Lastly, what is the total amount of sugar the Government proposes to import this year? I would like to know whether they also propose to export sugar and what is the position of the buffer stock? Sir, if I remember correctly the Sen Committee said, creation of buffer stock will stabilize the sugar economy. The buffer stock has been created but stability is far from reality in sugar industry. I would also like to know something about the mechanism of the buffer stock as recommended by the Sen Committee.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to congratulate on the one hand the hon. Minister that the sugar position, so far as consumers are concerned, is comfortable this year. Sugar is available not at a very high price. But if the consumers are benefited, are the producers also benefited? I entirely agree with Shri Kalpnath Rai that the growers are not getting remunerative prices. Mr. Vice-Chairman, Sir, distinction has to be made between fixing of the floor prices for wheat and paddy or other things and sugarcane. The distinction is like this: that in the case of wheat and rice, the minimum price is fixed so that in case the farmer does not get this price, the Government comes in and buys this at that particular price. But, what is the idea of fixing a price in the case of sugarcane when the Government has no machinery to use it? The trade and industry is in private hands. The trade and industry is not nationalised. If the trade and industry is not nationalised, how in the name of help have we fixed a price which is completely not in consonance with the reality of the situation? I say this because the price has been fixed at Rs. 18 and it is being sold at Rs. 27. There is a gap of Rs. 9. Why doesn't the Government have a formula? The formula is very simple and this formula is applicable in the case of Australia also, so far as floor prices for wool are concerned I have studied that and I know about that. They fix the 12 months' market average price at which the farmer can voluntarily sell and whatever the average of the previous 12 months', they fix the minimum price at that price. Now, if the price of the last

[Shri Ghulam Rasool Matto]

12 months' has been ranging between Rs. 24, Rs. 25 and Rs. 28, then why have they fixed it at Rs. 18 when the sugar industry is not nationalised? This is a joke that is being perpetrated on the farmers. I would like to request the hon. Minister that in the case of sugarcane, you should explicitly keep the floor price at market prevailing price for the simple reason that the Government is not going to stock sugarcane and keep it in its godowns just as it keeps rice and wheat. It has got to be crushed by somebody and it can only be crushed by the private sector. Had it been in the public sector, it would have been understandable. I would request the hon. Minister that he should be realistic. He should give remunerative prices. The production cost of the sugarcane has gone up very much high and if he does not do that, I have only to quote what Dr. Sir Mohd. Iqbal has said about the growers and this is what is going to happen. Because by fixing the rate which is not remunerative, Mr. Minister, I may warn you that you are killing the goose that lays the golden egg and then what does Sir Mohd. Iqbal says:

"आ ज़मीं अपनी हक़ीक़त से हो ऐ देहक़ान जरा,
दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू.
आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे.
राईतू रहरू भी तू रहबर भी तू मंज़िल भी तू।"

†[آ ذمیں اپنی حقیقت سے ہو اے دھقاں! ذرا
دانہ تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو
آہ! کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے
راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو]

With these observations, I urge the hon. Minister to come to the 1.00 P.M. succour of sugarcane growers.

There is a lot of difference between fixing remunerative prices for rice and wheat and fixing remunerative prices for jute and sugarcane. Thank you.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is a fact that every agricultural product in this country is grown under great strain because of the poor monetary returns to the grower. Though certain prices are fixed and given as remunerative to the grower, they are not at all remunerative. Sugarcane growers are no exception. They also suffer exploitation. I share the opinions expressed by my hon. colleagues Shri Kalpnath Rai and Shri Chitta Basu that the sugar policy of the Government of India is actually in favour of the persons who are controlling the entire sugar industry today. A national policy, which is really beneficial to the actual grower, should be taken by the authorities concerned. Then, and then alone, the actual grower may be benefited. So, I appeal to the Government to adopt such a policy, a democratic policy, as to give the proper benefits, remunerative prices, to the actual grower. Thank you.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, the subject for discussion today is very important. The main question is whether sugarcane growers are getting remunerative prices and whether the Government has guaranteed, assured, remunerative prices to sugarcane growers. The answer is 'no'. Neither sugarcane growers, like all other foodgrain growers, are getting remunerative prices, nor has the Government given any guarantee to give remunerative prices to sugarcane growers. The condition of sugarcane growers, not only in Andhra Pradesh but in the rest of the country, is pitiable because the

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

expenditure that is incurred by farmers, or sugarcane growers, is increasing day by day. Take any item which is required by the farmer; its price has gone up by ten times, twenty times, even thirty times. For oil, electricity, manure, fertiliser, for everything, the price has gone so high that it is impossible for the farmer to make both ends meet. The minimum price that is announced by the Government is most inadequate. By how many times the prices of the inputs have increased? Compared to that, the prices announced by the Government are very meagre. The Minister in his reply said that for the 1987-88 season the statutory minimum price has been fixed at Rs 18 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent with proportionate premium for higher recoveries. He said this is higher by Re. 1 per quintal compared to 1986-87 season. He said further, "Over a period of three to four years a substantial increase has been allowed in the minimum price." I would like to ask the Minister what the increase is within these three to four years in the prices of inputs which are needed by the farmer. I would like to draw the attention of the Minister to the procurement or minimum support price which the Government had announced in the past ten years. For 1975-76 the price recommended by the Agricultural Prices Commission was 9.5 and the price announced by the Government was 8.5. 1976-77: recommended 9.50 and announced by Government 8.50 Likewise for 1977-78: 9.50—8.50; 1978-79: 10 — 10; 1979-80: 10 — 12; 1980-81: 13 — 13; 1981-82: 13 plus 2 recommended by APC, announced by Government 13; 1982—83: 13 plus 2—13; 1983-84: 14 plus 2 recommended, 13 announced; 1984-85: 14 plus 2 — 14. This table shows how much increase there has been in ten years in the price announced by Government as against that recommeded by APC. APC recommended from 9.50 to 16 and Government announced from 8.50 to 14. The increase is only half. Therefore, the prices announced by Government are very meagre compared to the prices of inputs within these ten years—20 per cent to 50 per cent increase — and you have not taken that into account but you always say that the prices are being determined by APC. My question is this: Has that Commission taken into account the alarming increase in the prices of inputs incurred by the farmer?

Then I come to two very important points. I will give you the example of Andhra Pradesh. The maximum cultivation in Andhra Pradesh is about Rs. 6750 per acre and the average yield per acre is 13 metric tonnes. The price for the last decade per tonne comes to 240 per acre. The total income that may be gained is 7200. If you minus the expenditure, it comes to about 6700. The net income will be just Rs. 500 only. The honourable Minister has said in one of his answers to questions here and also in today's statement that in Uttar Pradesh, for example, it has been reported that the factories would e be paying a price of Rs. 27 and Rs. 26 per quintal of sugarcane and that these prices are more by Rs. 2 per quintal as compared to last season, giving an additional income of about Rs. 1,000 per hectare to the grower. I have given the figures so far as Andhra Pradesh is concerned. After deducting the expenditure, it will not come to more than Rs. 500. So, the condition of the farmer or the grower is very precarious.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please conclude now.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Now, so far as levy quota is concerned. It was 65:35 which means that levy quota of sugar was 65 per cent and free sale sugar was 35 per cent. That was the principle. But now you have made it 50:50. Now, who is getting the benefit? Not the grower. The grower is not getting the benefit at all. Likewise the price of molasses has been increased from Rs. 60 per tonne to Rs. 120 per tonne. Here also, you see, the real benefit is not going to the sugarcane growers. What we want to see is—and today's main discussion is also about that—whether the farmer or the grower is getting the benefit. That is the main point. Of course, there are so many other things. We have to modernize the mills and replace the old plant and machinery and we have to give more

[Shri B. Satyanarayan Reddy]

incentives to the mill owners also. All these things are there. O. K. But, at the same time, we have to see what concrete measures the Government is going to take to give relief to the cane growers. That is not being considered at all. Of course, every year you are announcing some increase by one rupee or two rupees or five rupees. But that is not going to solve the problem of the farmers or the growers. So, you have to prepare a permanent plan, you have to chalk out a permanent plan, so that the conditions of the growers can be improved. As my other friends have suggested, in order to put an end to the exploitation of the farmers by the mill owners, the best thing would be to nationalise all the sugar mills and make them modern so that abundant sugar is available to the consumer and the sugarcane growers also get remunerative prices.

Now, there is an increase in sugar production in the country and the Minister also has said that in his statement. We welcome that and we are very happy about it. At the same time, I would like to point out here, we are importing a large quantity of sugar from abroad costing huge foreign exchange. We are sorry about it. I would like to know from the honourable Minister when the country will be self-sufficient in sugar so that we can avoid importing sugar from the other countries. I would like to know when this would become possible and what measures the Government is going to take in this direction.

In the end, Sir, ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please conclude now.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: In the end, Sir, I would like to request the honourable Minister to take all possible measures to come to the aid of the sugarcane growers so that their conditions may become better, their children and other family members may live in better conditions and they can lead a peaceful life. Thank you, Sir.

ANNOUNCEMENT RE: GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 30th NOVEMBER 1987

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 30th November, 1987, will consist of the consideration and passing of the following Bills:-

(1) the Auroville (Emergency Provisions) Amendment Bill, 1987 as passed by Lok Sabha.

(2) The Railway Claims Tribunal Bill, 1987 as passed by Lok Sabha.

(3) The Merchant Shipping (Second Amendment) Bill, 1987.

(4) The Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Bill, 1987.

(5) The Air (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 1987 as passed by Lok Sabha.

(6) The National Housing Bank Bill, 1987 as passed by Lok Sabha.

(7) The High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill, 1987 as passed by Lok Sabha.

(8) The Cine Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Amendment Bill, 1987.

(9) The Regional Rural Banks (Amendment) Bill, 1987 as passed by Lok Sabha.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The House stands adjourned for lunch, to meet again at 2.30 p.M.

The House then adjourned for lunch at sixteen minutes past one of the clock.